न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. कं. / 2011 / रिव्यू आवेदन Review. 1061 - III / 2011

मंगलदीन पुत्र मिलापी साहू
निवासी ग्राम गोबरी तहसील मैहर जिला
सतना (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

1. श्रीमतती गल्ली पत्नी स्वं. विश्वनाथ साहू
2. श्रीमती गोलिया पुत्री स्वं. विश्वनाथ साहू
   पत्नी विश्राम साहूनिवासी गोवरी
3. श्रीमती कुनकी पुत्री विश्वनाथ साहू
   पत्नी सीताराम साहू नि. गोवरी
   तह. मेहर जिला सतना

.... अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.3.11 पारित द्वारा श्री मुक्तेष वार्ष्णेय सदस्य न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक 335रु / III / 8 व उनवान गल्ली आदि बनाम मंगलदीन साहू ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे कामंक 296 / 2 रकवा 0.627 हे. भूमि स्थित ग्राम गोवरी तहसील मैहर जिला सतना के भूमि स्वामी स्वर्गीय विश्वनाथ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1061–तीन/11 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
24.8.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 335–तीन/2008 में पारित आदेश दिनांक 18.3.11 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1061–तीन/11 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 335–तीन/2008 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 18.3.11 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 1061–तीन/11 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्‌यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

//2//रिव्यु 1061–तीन/11

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य को पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के

पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)

सदस्य